रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-एम.एच.-अ.-04122025-268233 CG-MH-E-04122025-268233

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 786] No. 786] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 3, 2025/अग्रहायण 12, 1947

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 3, 2025/AGRAHAYANA 12, 1947

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिसूचना

मुंबई, 3 दिसम्बर, 2025

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(शेयर आधारित कर्मचारी फायदे और स्वेट इक्किटी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2025

फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/284.— बोर्ड, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 54 एवं धारा 62 तथा कंपनी (शेयर पूँजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 8 एवं नियम 12 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11, धारा 11क एवं धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे और स्वेट इक्विटी) (दुसरा संशोधन) विनियम, 2025 कहा जा सकेगा।

8122 GI/2025 (1)

- 2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से तीसवें दिन लागू होंगे।
- 3. भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे और स्वेट इक्किटी) विनियम, 2021 में,-
 - विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, मौजूदा खंड (बब) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्, "बब. "मूल्यांकक" (वैल्यूअर) का वही अर्थ होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा
 247 (समय-समय पर यथा संशोधित) में इसके लिए दिया हुआ है;"
 - II. विनियम 34 में.-
 - उप-विनियम (1) में, शब्दों तथा चिह्न "मर्चेंट बैंकर द्वारा किया जाएगा।" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "एक स्वतंत्र रजिस्टर मूल्यांकक द्वारा किया जाएगा:" आ जाएँगे, और उसके बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा,-
 - "परंतु यह कि मर्चेंट बैंकर मूल्यांकन का जो कार्य भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे और स्वेट इक्विटी) (संशोधन) विनियम, 2025 के लागू होने से पहले अपने हाथों में ले चुका हो और जो पूरा न हुआ हो, उसे वह कार्य उपरोक्त विनियमों के लागू होने की तारीख से नौ महीनों की अवधि के भीतर पूरा करना होगा।"
 - ii. मौजूदा उप-विनियम (2) और (3) हट जाएँगे।

अमित प्रधान, कार्यपालक निदेशक [विज्ञापन-III/4/असा./522/2025-26]

पाद टिप्पण:

- 1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/40, द्वारा 13 अगस्त, 2021 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
- 2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे और स्वेट इक्किटी) विनियम, 2021, तत्पश्चात
 - क) 8 सितम्बर, 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे और स्वेट इक्विटी) (संशोधन) विनियम, 2025, फा. सं. सेबी/एलएडी–एनआरओ/जीएन/2025/262, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd December, 2025

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

(SHARE BASED EMPLOYEE BENEFITS AND SWEAT EQUITY) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2025

- **F. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/284.**—In exercise of the powers conferred by sections 11, 11A and 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with sections 54 and 62 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and rules 8 and 12 of the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014, the Board hereby makes the following regulations to amend the Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021, namely, —
- 1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) (Second Amendment) Regulations, 2025.
- 2. They shall come into force on the thirtieth day from the date of their publication in the Official Gazette.
- 3. In the Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021,
 - I. In regulation 2, in sub-regulation (1), the existing clause (ww) shall be substituted with the following clause, namely,-
 - "ww. "valuer" shall have the same meaning as assigned to it under section 247 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) as amended from time to time;"
 - II. In regulation 34,
 - i. in sub-regulation (1), the words and symbol "a merchant banker." shall be substituted with the words and symbol "an independent registered valuer:", and thereafter the following proviso shall be inserted,-
 - "Provided that a merchant banker shall complete the ongoing valuation assignment which has been undertaken prior to the coming into force of the Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) (Amendment) Regulations, 2025 within a period of nine months from the date of coming into force of the said regulations.";
 - ii. the existing sub-regulations (2) and (3) shall be omitted.

AMIT PRADHAN, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./522/2025-26]

Footnotes:

- 1. The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 were published in the Gazette of India on 13th August, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/40.
- 2. The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 was amended on
 - a) September 8, 2025 by the Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) (Amendment) Regulations, 2025, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2025/262.